



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट(पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 637 / 13 सी०

दिनांक 17-04-2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में माननीय मुख्यमंत्री घो० संख्या 901/2017 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला के बलुवाकोट पैय्यापौड़ी मोटर मार्ग के विस्तार कि०मी० 9.40 से 16.40 तक चौड़ीकरण/सृष्टीकरण हेतु 4.335 हे० वन भूमि का गैर वानिकी हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/67274/2020)।


सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वीं/यू०सी०पी०/०६/२०/२०२२/एफ०सी०/१३२५ दिनांक 03.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है-

क्र. सं.	लगाई गई आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1	संबंधित डी०एफ०ओ० स्वयं सी०ए० क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा सी०ए० हेतु वृक्षारोपण के लिये एम०डी०एफ० क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में अपनी विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।
2	राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया है कि 4.25मी० चौड़ी सड़क का निर्माण वर्ष 1996 में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना किया गया है, जो कि एफ०सी०ए० 1980 के नियमों का उल्लंघन है। अतः संबंधित डी०एफ०ओ० से अनुरोध है कि प्रस्ताव में गार्डललाईन पैरा 1.21 के तहत एफ०सी०ए० 1980 के नियमों में हुये उल्लंघन हेतु की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से कार्यवाही की जानी है।

अतः पत्र अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(इ० सजीव राठी )  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
अस्कोट(पिथौरागढ़)


पत्रांक / 13 सी०

तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० उप खण्ड धारचूला।

प्रतिलिपि:- खण्डीय अमीन लो०नि०वि० अस्कोट।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
अस्कोट(पिथौरागढ़)